भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 751
दिनांक 8 फरवरी, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

महामारी के दौरान कोविड-19 योद्धाओं को सुविधाएं

751 श्रीमती छाया वर्माः
श्री विशम्भर प्रसाद निषादः
चौधरी सुखराम सिंह यादवः
श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कोरोना काल में अस्पतालों में मरीजों के इलाज के दौरान डाक्टरों, नर्सों, एवं कोरोना योद्धाओं की मौत होने के उपरांत उनके कुछ अश्रितों को सरकार द्वारा घोषित सुविधाएं अभी तक प्रदान नहीं की गई है;
(ख) कोरोना काल में किन-किन क्षेत्रों के कर्मचारियों को कोरोना योद्धा घोषित किया गया था;
(ग) कोरोना के इलाज के दौरान मारे गए कोरोना योद्धाओं के अश्रितों को प्रदान की गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और
(घ) अभी कितने कोरोना योद्धा हैं जिनके अश्रितों को इस संबंध में घोषित की गई सुविधाएं प्रदान की जानी हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (घ): स्वास्थ्य राज्य का विषय है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कोविड-19 तथा जन स्वास्थ्य की अन्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए तैयारी एवं अनुक्रिया संबंधी क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए राज्यों को अपेक्षित तकनीकी, साजो सामान एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (एसडीआरएफ) तथा तथा आपातकालीन कोविड-19 अनुक्रिया एवं तैयारी (ईसीआरपी) पैकेजों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी): कोविड-19 के विरुद्ध लड़ रहे स्वास्थ्य परिचर्या कर्मियों के लिए 30 मार्च, 2020 को बीमा योजना प्रारंभ की गई थी जिसका उद्देश्य उन सामुदयिक स्वास्थ्य कर्मियों तथा प्राइवेट स्वास्थ्य कर्मियों सहित 22.12 लाख स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाताओं को 50 लाख रूपए का व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर उपलब्ध कराना है जो कोविड-19 के मरीजों के सीधे संपर्क एवं परिचर्या में रहे हों तथा इससे प्रभावित होने के जोखिम में हों।

इसके अतिरिक्त केंद्र/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, एम्स तथा राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों (आईएनआई) विशेष रूप से कोविड-19 मरीजों की परिचर्या के लिए निर्दिष्ट किए गए केंद्रीय मंत्रालयों के अस्पतालों द्वारा मांगे गए प्राइवेट अस्पताल के स्टाफ/सेवा निवृत्त/स्वयं सेवक/स्थानीय शहरी निकाय/संविदा/दिहाड़ी/तदर्थ/बाह्य स्त्रोत स्टाफ को पीएमजीकेपी के तहत कवर किया जाता है। कोविड-19 से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रारंभ की गई पीएमजीकेपी बीमा योजना को 20 अक्टूबर, 2021 से और 180 दिन की अवधि के लिए बढ़ाया गया है। योजनाओं के कार्यान्वयन को मुख्यत: राज्य स्तर पर समन्वित किया जाता है।

31 जनवरी, 2022 तक योजना के तहत कुल 1616 दावों का निपटारा किया जा चुका है तथा आश्रितों के परिवारों को 808 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 30 जून, 2021 के निर्णय के अनुसरण में, भारत सरकार ने 'कोविड-19 के कारण मृतकों के परिजनों को अनुग्रह सहायता उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के माध्यम से दिशा निर्देश' जारी किए हैं। एनडीएमए ने कोविड-19 के कारण हुई मौत के रूप में सत्यापित होने की शर्त पर प्रति मृतक 50,000/- रूपए की राशि की अनुशंसा की है। अनुग्रह सहायता राज्य आपदा अनुक्रिया निधियों से राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

कोविड-19 महामारी के कारण जिन बच्चों ने अपने माता पिता दोनों को ही खो दिया है, उन्हें व्यापक सहायता उपलब्ध कराने के लिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराता है, शिक्षा के माध्यम से ऐसे बच्चों को सशक्त बनाता है तथा 23 वर्ष की आयु होने पर के साथ आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

****